



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/लेखा/2026/563

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2026

संशोधित आदेश

विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी, पर्यवेक्षक, Observer/Flying squad Inspector/ Examiner/Inspection Team etc.) परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक एवं विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण, जाँच एवं अन्य कार्यालयीन कार्यों हेतु समय-समय पर सौंपे गये दायित्व के निर्वहनकर्ताओं के लिए वर्तमान में प्रचलित यात्रा भत्ता नियमों में एतद् द्वारा संशोधन करते हुए दिनांक 01 अप्रैल 2026 से नवीन यात्रा भत्ता नियमावली लागू की जाती है। (यात्रा भत्ता नियमावली प्रति संलग्न है)

संशोधित यात्रा भत्ता नियमों में निहित प्रावधानों का पालन करते हुए यात्रा व्यय देयकों के भुगतान हेतु यात्रा देयक प्रस्तुत किए जाए।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(प्रो.पी.शशिकला)
प्रभारी, कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक/लेखा/2026/564

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2026

31/03/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय कुलगुरु जी को निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. निदेशक (सं.अ.सं.) को सूचनार्थ।
6. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
7. प्रभारी(ऑडिट अधिकारी) को सूचनार्थ।
8. समस्त शाखा प्रभारियों को सूचनार्थ।
9. प्रभारी (निदेशक) रीवा परिसर को सूचनार्थ।
10. प्रभारी (निदेशक) खंडवा परिसर को सूचनार्थ।
11. प्रभारी (निदेशक) दतिया परिसर को सूचनार्थ।
12. प्रशासनिक समन्वयक को सूचनार्थ।
13. प्रभारी (बेवसाइट) को सूचनार्थ एवं बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
14. आदेश पुस्तिका।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(प्रो.पी.शशिकला)
प्रभारी, कुलसचिव



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

ए-विंग, प्रथम-तल, चाणक्य-भवन, माखनपुरम परिसर,

मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, ग्राम-बिशनखेड़ी, भोपाल-462044, मध्यप्रदेश (भारत)



यात्रा-भत्ता नियमावली, 2025

(दिनांक- 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी)

संदर्भ - (1) वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन का ज्ञापन क्रमांक : एफ 4-1/2025/नियम/चार, दिनांक-03 अप्रैल, 2025।

(2) वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन का ज्ञापन क्रमांक : एफ 4-2/2016/नियम/चार, दिनांक-05 नवम्बर, 2016।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के अध्यापक, अधिकारी, पर्यवेक्षक (Observer/Flying Squad/Inspector/Examiner/Inspection Team Etc.) परीक्षा-केन्द्र के अधीक्षक तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण, जाँच एवं अन्य कार्यालयीन कार्य हेतु समय-समय पर सौंपे गए दायित्व के निर्वहनकर्ता तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वर्तमान में प्रचलित यात्रा-भत्ता नियम में एतद् द्वारा निम्नानुसार यथा संशोधन किया जाता है :-

1. यात्राकर्ता की श्रेणी वर्गीकरण -

रेल/वायुयान/बस किराया, दैनिक भत्ता, होटल-व्यय, स्थानीय आवागमन-व्यय एवं टैक्सी/निजी वाहन से यात्रा के व्यय की गणना एवं पात्रता निर्धारण के प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 एवं 2017 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले ग्रेड वेतन (Grade Pay) के आधार पर यात्राकर्ता को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	श्रेणी	ग्रेड वेतन	वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अनुसार मेट्रिक्स लेवल
1	ए	₹7,600/- एवं अधिक	मेट्रिक्स लेवल 14 एवं अधिक
2	बी	₹6,600/- एवं अधिक पर ₹7,600/- से कम	मेट्रिक्स लेवल 13 एवं अधिक पर लेवल 14 से कम
3	सी	₹4,200/- एवं अधिक पर ₹6,600/- से कम	मेट्रिक्स लेवल 10 एवं अधिक पर लेवल 13 से कम
4	डी	₹2,400/- एवं अधिक पर ₹4,200/- से कम	मेट्रिक्स लेवल 06 एवं अधिक पर 10 से कम
5	ई	₹2,400/- से कम	मेट्रिक्स लेवल 06 से कम

- 1.1) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को छोड़कर यात्रा-भत्ता देयक के निर्धारित स्थान पर वेतनमान एवं ग्रेड-पे का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना एवं बाहरी सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नवीनतम वेतन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- 1.2) जहाँ ग्रेड-पे लागू नहीं है तथा जहाँ बाह्य विशेषज्ञ (यात्राकर्ता) को केन्द्र निरीक्षण/ऑब्जर्वर/फ्लाईंग स्क्वाड/परीक्षक (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक) के रूप में नियुक्त किया गया है, वहाँ यात्राकर्ता को "बी" श्रेणी का मानकर यात्रा भत्ते का निर्धारण किया जायेगा।

2. यात्रा के साधन (रेल/वायुयान/बस किराये की पात्रता) -

क्रमांक	श्रेणी	हवाई यात्रा	रेल	बस
1	ए	हाँ (केवल इकोनॉमी क्लास)	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
2	बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी (AC-I) को छोड़कर अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
3	सी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी (AC-I) एवं एकजीक्यूटिव श्रेणी (EC) को छोड़कर अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
4	डी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी (AC-I & II) तथा एकजीक्यूटिव श्रेणी (EC) को छोड़कर अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स (AC-Deluxe) बस को छोड़कर अन्य समस्त श्रेणी
5	ई	नहीं	केवल शयनयान (SL) तथा गैर-वातानुकूलित कुर्सीयान (Non AC-CC)	वातानुकूलित डीलक्स (AC-Deluxe) बस को छोड़कर अन्य समस्त श्रेणी

- 2.1) विश्वविद्यालय के कुलगुरु को वायुयान के एक्जीक्यूटिव क्लास (Executive Class) अथवा बिजनेस क्लास (Business Class) से हवाई यात्रा करने की पात्रता होगी।
- 2.2) विश्वविद्यालय के कुलाधिसचिव को "ए" श्रेणी की पात्रता होगी।
- 2.3) वायुयान से यात्रा करने पर कुलगुरु की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 2.4) रेल से यात्रा करने पर रेल-टिकट की स्व-प्रमाणित छायाप्रति/वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। टिकट प्रस्तुत नहीं करने पर केवल शयनयान (स्लीपर) किराया राशि से प्रतिपूर्ति की जावेगी।
- 2.5) हवाई-यात्रा की स्थिति में टिकट की स्व-सत्यापित प्रति एवं बोर्डिंग-पास प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 2.6) विश्वविद्यालय की महापरिषद/प्रबंध-समिति/विद्या-परिषद/वित्त-समिति की बैठकों में आमंत्रित सदस्यों को वायुयान से यात्रा की इकोनॉमी श्रेणी की पात्रता होगी।

3. दैनिक भत्ते की दर -

3.1) दैनिक भत्ते की पात्रता :-

कर्तव्य पर मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के दौरान यात्रा में होने वाले प्रासंगिक-व्यय की पूर्ति हेतु देय दैनिक भत्ते की पात्रता निम्नानुसार होगी। यात्रा में व्यतीत समय के लिए साधारण दर से केवल एक दैनिक भत्ता स्वीकार्य होगा।

क्रमांक	मुख्यालय से अनुपस्थित	देय दैनिक भत्ता
1	06 घंटे से कम होने पर	कोई दैनिक भत्ता देय नहीं
2	06 घंटे एवं अधिक पर 12 घंटे से कम होने पर	अर्द्ध दिवस का दैनिक भत्ता
3	12 घंटे एवं अधिक पर 24 घंटे से कम होने पर	एक पूर्ण दिवस का दैनिक भत्ता

3.2) दैनिक भत्ते की दर (₹ प्रतिदिन) :-

क्रमांक	श्रेणी	मध्यप्रदेश राज्य के भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर को छोड़कर प्रदेश के भीतर अन्य सभी जिला/स्थानों के लिए दैनिक भत्ते की दर (साधारण दर)	(1) मध्यप्रदेश राज्य के भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर शहर के लिए तथा (2) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर अन्य सभी जिला/स्थानों के लिए	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे के लिए विशेष दैनिक भत्ते की दर
1	ए	₹375/-	₹550/-	₹750/-
2	बी	₹300/-	₹440/-	₹600/-
3	सी	₹225/-	₹330/-	₹450/-
4	डी	₹185/-	₹280/-	₹375/-
5	ई	₹125/-	₹190/-	₹260/-

- 3.3) कुली भाड़ा एवं अन्य आकस्मिक व्ययों की पूर्ति हेतु मुख्यालय से बाहर 12 घंटे से अधिक की यात्रा अवधि होने पर साधारण दर से एक पूर्ण दिवस का दैनिक भत्ता देय होगा।

4. ठहरने (होटल व्यय) की पात्रता (₹ प्रतिदिन) -

क्रमांक	श्रेणी	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे के लिए दर	(1) मध्यप्रदेश राज्य के भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर शहर के लिए तथा (2) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर अन्य सभी जिला/स्थानों के लिए	मध्यप्रदेश राज्य के भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर को छोड़कर प्रदेश के भीतर अन्य सभी जिला/स्थानों के लिए दर	स्वयं की व्यवस्था	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल/मोटल के लिए पात्रता
1	ए	₹7,400/-	₹5,500/-	₹3,700/-	₹750/-	ए.सी. डीलक्स कक्ष/ए.सी. कक्ष
2	बी	₹5,500/-	₹4,000/-	₹2,750/-	₹660/-	ए.सी. कक्ष
3	सी	₹3,700/-	₹2,800/-	₹1,850/-	₹550/-	-
4	डी	₹2,000/-	₹1,400/-	₹920/-	₹450/-	-
5	ई	₹1,000/-	₹700/-	₹450/-	₹370/-	-

- 4.1) कार्यस्थल पर न्यूनतम 06 घंटे ठहरने पर ही होटल व्यय देय होगा।
- 4.2) होटल देयक एवं भुगतान की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा इस मद के दावे की राशि पर न्यूनतम देय राशि का भुगतान किया जावेगा।
- 4.3) शासकीय प्रवास पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में उपरोक्त दरों पर केवल एक कक्ष उपलब्ध रहेगा। श्रेणी 'सी', 'डी' एवं 'ई' के शासकीय सेवक के शासकीय प्रवास पर ए.सी. कक्ष में ठहरने पर उन्हें उनकी निर्धारित श्रेणी अनुसार ही प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी एवं अंतर की राशि शासकीय सेवक के द्वारा ही वहन की जावेगी।
- 4.4) ठहरने (होटल व्यय प्रतिपूर्ति राशि) की प्रतिदिन राशि समस्त कर सहित है।

5. स्थानीय आवागमन की पात्रता एवं दर (₹ प्रतिदिन) -

क्रमांक	श्रेणी	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में विश्वविद्यालय के कार्य से यात्रा करने पर स्थानीय आवागमन की दर (कॉलम-A)		(कॉलम-A) में उल्लेखित 09 शहरों को छोड़कर मध्यप्रदेश राज्य एवं देश के अन्य राज्यों के शहरों के लिए स्थानीय आवागमन की अधिकतम सीमा	
		आवागमन के संबंध में वास्तविक व्यय के भुगतान का मूल देयक/रसीद प्रस्तुत करने पर अधिकतम देय स्वीकार्य योग्य राशि	स्वयं की व्यवस्था करने पर स्वीकार्य योग्य राशि	आवागमन के संबंध में वास्तविक व्यय के भुगतान का मूल देयक/रसीद प्रस्तुत करने पर अधिकतम देय स्वीकार्य योग्य राशि	स्वयं की व्यवस्था करने पर स्वीकार्य योग्य राशि
1	ए	₹2,200/-	₹500/-	₹650/-	₹400/-
2	बी	₹1,500/-	₹400/-	₹600/-	₹300/-
3	सी	₹1,000/-	₹300/-	₹500/-	₹250/-
4	डी	₹600/-	₹200/-	₹400/-	₹200/-
5	ई	₹300/-	₹100/-	₹300/-	₹100/-

- 5.1) मेट्रो/एन.सी.आर. के स्थानीय परीक्षकों/निरीक्षकों के लिए राशि ₹1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) प्रतिदिन स्थानीय आवागमन के रूप में टैक्सी व्यय की पात्रता होगी, जिसका स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. वाहन भता -

6 (1) - टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर पात्रता एवं देय राशि की नियमावली :-

- 6.1.1) कण्डिका-1 में उल्लेखित वर्गीकरण के आधार पर क्रमशः 'ए', 'बी' एवं 'सी' श्रेणी को टैक्सी से यात्रा करने की पात्रता होगी।
- 6.1.2) टैक्सी से यात्रा करने पर अधिकतम स्वीकृत दर राशि ₹13/- (तेरह रुपये मात्र) प्रति किलोमीटर होगी।
- 6.1.3) टैक्सी से यात्रा करने पर व्यय भुगतान का वास्तविक देयक, ड्यूटी-स्लिप एवं टोल-टैक्स की मूल रसीद/फास्ट-टैग स्टेटमेंट की छायाप्रति तथा उक्त सभी दस्तावेजों पर यात्राकर्ता द्वारा स्वयं-प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होगा।
- 6.1.4) "यात्रा का स्थान रेलमार्ग से जुड़ा नहीं है।" इसका स्व-हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य है।
- 6.1.5) कार्यालयीन कार्य हेतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा टैक्सी से यात्रा करने पर अधिकतम 1500 किलोमीटर की यात्रा करने पर राशि ₹13/-तेरह रुपये मात्र) की दर से प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
- 6.1.6) टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर कण्डिका-5 में उल्लेखित स्थानीय आवागमन व्यय देय नहीं होगा।
- 6.1.7) टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर देय पात्रता राशि का निर्धारण निम्नानुसार तय होगा :-

टैक्सी द्वारा 500 कि.मी. तक की यात्रा का स्थान रेलमार्ग से जुड़ा है अथवा नहीं जुड़ा होने पर	टैक्सी द्वारा 500 कि.मी. से अधिक दूरीकी यात्रा (यात्रा का स्थान रेलमार्ग से जुड़ा होने पर)	टैक्सी द्वारा 500 कि.मी. से अधिक दूरी की यात्रा (यात्रा का स्थान रेलमार्ग से जुड़ा नहीं होने पर)
(अ) टैक्सी के यात्रा व्यय की वास्तविक राशि <i>अथवा</i> (ब) निर्धारित दर से 500 कि.मी. तक की राशि उपरोक्त (अ) एवं (ब) में जो राशि कम होगी उसका भुगतान देय होगा।	(अ) टैक्सी के यात्रा व्यय की वास्तविक राशि <i>अथवा</i> (ब) निर्धारित दर से 500 कि.मी. तक की राशि उपरोक्त (अ) एवं (ब) में जो राशि कम होगी उसका भुगतान देय होगा।	(अ) टैक्सी के यात्रा व्यय की वास्तविक राशि <i>अथवा</i> (ब) यात्रा के लिए निर्धारित दर ₹13/- प्रति किलोमीटर की दर से प्रतिपूर्ति उपरोक्त (अ) एवं (ब) में जो राशि कम होगी उसका भुगतान देय होगा।

6 (2) - निजी वाहन द्वारा यात्रा करने पर पात्रता एवं देय राशि की नियमावली :-

- 6.2.1) श्रेणी 'ए', 'बी' एवं 'सी' को निजी वाहन से यात्रा करने की पात्रता होगी।
6.2.2) निजी वाहन से यात्रा करने पर अधिकतम स्वीकृत दर राशि ₹9/- (नौ रुपये मात्र) प्रति किलोमीटर होगी।
6.2.3) निजी वाहन से यात्रा करने पर वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर की छायाप्रति, टोल-टैक्स की मूल रसीद/फास्ट-टैग स्टेटमेंट की छायाप्रति एवं स्व-हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। टोल-टैक्स की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
6.2.4) निजी वाहन रजिस्ट्रेशन से तात्पर्य स्वयं, पति/पत्नी, वयस्क पुत्र/पुत्री अथवा माता-पिता के नाम से वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6.2.5) निजी वाहन द्वारा यात्रा करने पर कण्डिका-5 में उल्लेखित स्थानीय आवागमन व्यय देय नहीं होगा।

7. स्थानान्तरण पर घरेलू सामान का परिवहन -

शासकीय सेवक के जनहित में स्थानान्तरण पर निजी सामान की दुलाई के लिए निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	स्वीकृत दर प्रति किलोमीटर
1	'ए' एवं 'बी'	₹40/-
2	'सी' एवं 'डी'	₹25/-
3	'ई'	₹15/-

8. स्थानान्तरण अनुदान -

शासकीय सेवक का जनहित में स्थानान्तरण होने पर घरेलू सामान को बाँधने, खोलने, ट्रक में चढ़ाने एवं उतारने के लिए एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	स्वीकृत पुनरीक्षित दर
1	ए	₹6,500/-
2	बी	₹5,000/-
3	सी	₹3,600/-
4	डी	₹2,500/-
5	ई	₹1,800/-

9. अन्य विशेष नियम -

9.1) विशेष स्वीकृती अधिकार -

विशेष परिस्थिति में अधिकृत मान से उच्चस्तर की यात्रा करने, ठहरने की सुविधा एवं विश्वविद्यालय कार्य से आने-जाने के लिए स्वीकृत राशि से अधिक के वास्तविक टैक्सी किराये का दावा करने की स्थिति में प्रशासनिक स्वीकृती प्रदान करने का अधिकार मान. कुलगुरु को होगा।

9.2) विशेष पात्रता अधिकार -

मान. कुलगुरु को यात्रा के वास्तविक व्यय की राशि को प्राप्त करने की पात्रता होगी।

9.3) यात्रा की प्रशासनिक स्वीकृती -

यात्राकर्ता द्वारा यात्रा देयक के साथ यात्रा के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृती की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

9.4) विश्वविद्यालय कल्याण कोष एवं आयकर कटौती -

पर्यवेक्षकों, वीक्षकों, परीक्षकों, केन्द्र-अधीक्षकों, उड़नदस्ते एवं परीक्षा संबंधी समस्त मानदेय भुगतान राशि में से 05 प्रतिशत कटौती विश्वविद्यालय कल्याण कोष मद में की जावेगी तथा नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी।

9.5) परीक्षा कार्य हेतु विशेष भत्ता -

- 9.5.1) यदि कर्मचारी उत्तरपुस्तिकाएं एवं परीक्षा सामग्री, परीक्षा-केन्द्रों तक पहुँचाता है तो ढुलाई व्यय अधिकतम राशि ₹15/- (पंद्रह रुपये मात्र) प्रति बोरी (बंडल) देय होगा जो कि, न्यूनतम प्रति केन्द्र राशि ₹50/- (पचास रुपये मात्र) होगी। परीक्षा-केन्द्र निरस्त होने तथा बदलने की स्थिति में रसीद प्रस्तुत करने पर उसके परिवहन पर किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
- 9.5.2) विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक:2025/परीक्षा/मूल्यांकन/376, दिनांक-24/04/2025 के अनुक्रम में मूल्यांकन/परीक्षा-केन्द्रों की परीक्षा सामग्री/उत्तरपुस्तिकाएं पहुँचाने पर प्रवास के दौरान यात्रा-व्यय के अतिरिक्त पारिश्रमिक दरें सहायक ग्रेड '1', '2', '3' एवं वाहन चालक को राशि ₹250/- (दो सौ पचास रुपये मात्र) प्रतिदिन तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को राशि ₹200/- (दो सौ रुपये मात्र) प्रतिदिन देय होगा।
- 9.6) समय-सीमा एवं वित्तीय-सीमा -**
- 9.6.1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 एवं 35AD में फायनेंस बिल, 2017 में किए गए प्रस्तावित संशोधन अनुसार कैशलेस व्यवहार हेतु राशि ₹10,000/- (दस हजार रुपये) या इससे अधिक के नगद भुगतान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किए जायेंगे।
- 9.6.2) राशि ₹10,000/- (दस हजार रुपये) या इससे अधिक के भुगतान हेतु केवल **Account Payee Cheque/Account Payee Draft/ECS or other prescribed Electronic Channel (As: - Credit Card/Debit Card/Net Banking/Mobile Banking/IMPS/UPI/RTGS/NEFT/BHIM Aadhaar Pay)** का प्रयोग किया जावे एवं भुगतान का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।
- 9.6.3) टैक्सी/होटल मद में आंशिक नगद भुगतान (पार्ट पेमेंट) की अधिकतम सीमा राशि ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) तक ही मान्य होगा।
- 9.6.4) विश्वविद्यालय कार्यों से की गयी किसी भी अधिकृत यात्रा के लिए संपन्न यात्रा के अंतिम दिन से छह माह की समयावधि के भीतर देयक/स्वत्व प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा देयक/स्वत्व समयबाधित होकर व्ययगत (लैप्स) माना जावेगा तथा कोई भुगतान देय नहीं होगा।
- 9.7) अपने प्रदेश से आशय उस प्रदेश से है जहाँ कार्य करने वाला व्यक्ति इस समय कार्यरत है।
- 9.8) यात्रा भत्ता के लिए निर्धारित स्थान पर स्थायी लेखा संख्या (PAN) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना एवं PAN CARD की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा ECS के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए निर्धारित स्थान पर बैंक का विवरण दिया जाना अनिवार्य है।
- 9.9) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को यात्रा (प्रवास) हेतु सामान्यतः किसी भी प्रकार का अग्रिम प्रदान नहीं किया जावेगा। विशेष परिस्थिति में सक्षम स्वीकृती उपरांत ही अग्रिम प्रदान करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- 9.10) विश्वविद्यालय के हित में यात्राकर्ता द्वारा की गयी यात्रा पर हुए वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के लिए ही यात्रा भत्ता दिया जाता है। यह एक मूल सिद्धांत है कि, भत्ता आय का स्रोत नहीं है, गंतव्य स्थान के लिए की गयी यात्रा यथासंभव निकटतम मार्ग से की जानी चाहिए।
- 9.11) विश्वविद्यालय की बैठक या कार्यालयीन कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था (जहाँ यात्रा भत्ता देय है) के कार्य से भी संबंधित कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक एक ही यात्रा करते हैं तब उन्हें एक ही संस्था से यात्रा व्यय प्राप्त करने की पात्रता होगी।

कुलगुरु द्वारा अनुमोदित


कुलसचिव

प्रो. पी. शशिकला
प्रभारी कुलसचिव